**International Journal of Advanced Education and Research**
**ISSN: 2455-5746, Impact Factor: RJIF 5.34**
**www.alleducationjournal.com**
**Volume 1; Issue 6; June 2016; Page No. 48-52**

# आंतकवाद : एक ऐतिहासिक अध्ययन

**डॉ० शालिकराम मिश्र**

10/875, जनता कालेज रोड अनन्तपुर, रीवा (म0प्र0), भारत।

**सारांश**

सम–सामायिक विश्व की सबसे गंभीर व प्रमुख चुनौतियों में प्रमुख रूप से आंतकवाद है। आंतकवाद एक ऐसा युद्ध है जिसकी कोई सीमाएं नही है। हिंसा, आंतक, बल तथा कुप्रचार के माध्यम से अपनी जायज व नाजायज मांगों को मनवाने के लिये अलगाववादी उन गतिविधियों का सहारा लेते है जो सरकार तथा जनमत पर दबाव का कार्य करती है। कोई भी राज्य प्रजातांत्रिक मूल्यों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आदर करता है, उसे इन युद्धों से सदैव हानि होती है। निःसंदेह यह गतिविधियां कानून की परिधि से बाहर होती हैं। आंतकवादी, राज्य के किसी नियम का पालन नही करते और राज्य के सामने यह मजबूरी होती है कि राज्य ऐसे किन्हीं तरीकों का प्रयोग नही कर सकता जो आंतकवादियों द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं। आंतकवादी व्यापक रूप से जनता, प्रशासन व सरकार को भयाक्रांत कर आंतक उत्पन्न करते हैं और दबाव की कूटनीति तथा कई बार सुनियोजित रूप से किये गये षड़यंत्रों की पूर्ति की जाती है।[1] आंतकवादियों की कार्य प्रणाली में अपराध बिना किसी सोच विचार के किये जाते हैं। जिनका उद्देश्य मात्र आंतक उत्पन्न करना होता है।

आज के परिवेश में बहुत से लोग सामाजिक स्थिति से प्रभावित होते हैं जिनमें से ऐसे बहुत ही कम होते हैं जो हिंसा या आंतक का सहारा लेते हैं। परन्तु कुछ व्यक्ति हिंसा का चयन करते हैं। इसका कारण कुछ भी हो परन्तु इतना सत्य है कि समाज के कुछ व्यक्तियों द्वारा हिंसा का चयन किया जाता है। समाज के विभिन्न वर्गो के अध्ययन के आधार पर प्रत्येक सामाजिक व्यक्तियों की विचारधाराओं में जो भिन्नताएं होती हैं उनके विचारण (विचार) के तरीकों पर निर्भर होता है जिसकी पृष्ठभूमि में उनकी सामाजिक परिस्थितियों का आधार होता है, जो उस व्यक्ति के विचार को निर्धारित करती है। जो उसकी सामाजिक विचारधारा, राजनैतिक, शिक्षा, धार्मिक पृष्ठभूमि और अन्य ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के मन में जो विचार धारा उत्पन्न होती है उसी से व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की मानसिक स्थिति व सोच तैयार होती है जिससे मनुष्य का व्यवहार निर्धारित होता है।

**शब्द कुंजी:** आंतकवाद, ऐतिहासिक, अलगाववादी

**प्रस्तावना**

विभिन्न ऐतिहासिकग्रन्थों के अध्ययन पर मूलरूप से समाज हिंसा पर ही आधारित रहा है यद्यपि हिंसा की मात्रा कम या अधिक और कारण कुछ भी रहे हों। आंतकवाद और हिंसा ने शांति व्यवस्था को सम्पूर्ण संसार में अस्त–व्यस्त कर दिया है। इसके कारण मानव मात्र के मन में भय और आंतक का वातावरण उत्पन्न हो गया है और शिक्षित तथा सभ्य समाज बुरी तरह असुरक्षा की भावना में फंसकर भय के मनोविज्ञान से प्रभावित है। आंतकवाद और हिंसा के अविवेकशील प्रयोग के कारण सैकड़ों निरपराध लोग इसके शिकार हुए हैं। इसके शिकार ऐसे लोग भी हुए हैं जिनका दूर–दूर तक इससे कोई सम्बन्ध नही है। आज प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, जो समाज के सम्बन्ध में सही ढंग से सोच सकता है और मन में यह भावना है कि समाज में व्याप्त इस हिंसा और आंतक को समाप्त किया जाय, किन्तु संभावित सभी प्रयास करने के बाद भी इसे जड़ मूल से उखाड़ फेंकना संभव नही हो रहा है क्योंकि हिंसा और आंतकवाद के बीज लोगों के मन और मस्तिष्क की इतनी गहराई में बो दिये गये हैं जहां से निकालना एक बहुत बड़ी समस्या है।

हिंसा के संबंध में सम्पूर्ण विश्व की स्थिति का आंकलन करें तो हमें जापान में ''यूनाईटेड रैड आर्मी'' पश्चिमी जर्मनी में बैदार मैन हॉफ समूह, ब्रिटेन में आईरिश रिपब्लिक आर्मी'' ''ब्लैक पैंथर्स'' पैलेसटाईन में ''ब्लैक सैप्टैम्बर'' नामक समूह क्रियाशील दिखाई देती हैं। देश के कई भागों में भी इस प्रकार के हिसंक और आंतकवादी समूह क्रियाशील है।

आतंकवाद और हिंसा की बात करते समय निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आतंकवाद अपना प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आपराधिक गतिविधियां प्रारंभ करता है और इसके लिए हत्या, लूट और तोड़–फोड़ जैसी घटनाओं को करने से नही हिचकता तथा यह करते हुए वह यह विचार भी नही करता कि उससे कौन प्रभावित होगा। वह तो केवल यह विचार करता है कि किस कारण वह आतंक और भय पैदा कर सकता है। आतंकवादियों और अन्य अतिवादियों द्वारा किये जाने वाले हिंसा के अपराध सामान्य अपराधों से भिन्न प्रकार के होते हैं। जहॉ आम अपराध के पीछे कोई निश्चित विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है इन मामलों में आतंकवाद का उद्देश्य केवल भय, आतंक और अव्यवस्था उत्पन्न करना होता है जिसके लिये वह हिंसा का सहारा लेता है भले ही उस हिंसा से वास्तविक रूप से कोई हानि न हो। किन्तु उससे समाज पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न हो, यह उसका उद्देश्य होता है। यदि इसको गंभीरता से सोचा जाय तो वास्तव में यह किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध नही है अपितु सम्पूर्ण समाज के खिलाफ एक अपराध है ।

देश में जिस प्रकार का आतंकवाद फैला है उसमें आतंकवादी किसी भी प्रकार से किसी ऐसी संस्था से जुड़ा है जिसके पीछे कोई समूह जो केवल हिंसा के बल पर समाज के सदस्यों को दबाना चाहता है। कोई भी आतंकवादी या हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति स्वयं अकेले किसी राजनैतिक या अन्य उद्देश्यों को प्राप्त नही कर सकता, इसलिए कुछ राजनैतिक पार्टियां उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है और उस आतंकवादी द्वारा किये जाने वाले हिंसक कार्य उस राजनैतिक समुदाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक तरीका होता है। उस दल के नेताओं को यह मालूम है कि इस प्रकार के हिंसक कार्यो से ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न होगा कि आम नागरिक अपना विवेक खो देगा, वह भय के कारण इतना असहाय अनुभव करेगा कि इस प्रकार के हिंसात्मक कार्यो के सामने अपने आपको सौप देगा और फिर उस दल की प्रत्येक वैध और अवैध मांग को स्वीकार कर लेगा।

## भौगोलिक पृष्ठभूमि

आतंकवाद के लिये कोई भौगोलिक या राष्ट्रीय सीमाएं नही है। आतंकवादियों द्वारा ऐसे स्थानों को चुना जाता है जो उनका उद्देश्य पूर्ण करने के लिये एक हथियार का काम करे और इसलिए उनके द्वारा निर्धारित और चुने गये स्थान सदैव सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी स्थिति इतनी संवेदनशील होती है कि उसका प्रभाव सम्पूर्ण समाज पर पड़ता है।

## आतंकवाद की उत्पत्ति

आतंकवादी या अतिवादी लोगों की हिंसा के कृत्य किन्हीं राजनैतिक विचारधारा के भेदभाव अथवा किसी धार्मिक, भाषायी अथवा समाज के किसी वर्ग विशेष के प्रति भेदभाव किया गया भावना पर आधारित होता है। सामान्य रूप से यदि किसी के साथ वास्तव में कोई भेदभाव किया गया है तो उस वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के मन में समाज के अन्य सदस्यों के प्रति असंतोष की भावना मौजूद रहती है और आतंकवादी या अन्य हिंसात्मक संगठन इसी कमजोरी का लाभ उठाकर असंतोष उत्पन्न करते हैं और तब अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिये एक समूह या संगठन निर्मित कर लेते हैं। आमतौर पर इस प्रकार के संगठन समाज की निर्धारित मान्यताओं का विरोध करते हैं और समाज की मान्य नैतिकताओं (बंधनों) व मान्यताओं का उल्लंघन करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रूर से क्रूर हिंसा का सहारा लेते हैं। हिंसा के प्रयोग में इतनी क्रूरता करते हैं कि उससे समाज की सारी संस्थाएं कांप उठती हैं और इस प्रकार के कृत्य के परिणामस्वरूप उन्हें जो प्रचार मिलता है, और समाज पर जो प्रभाव होता है उसके कारण उनके उद्देश्य प्राप्त करने में उन्हें कठिनाई नही होती है।[2]

## ऐतिहासिक स्थिति

''आतंकवाद'' एक आधुनिक परिभाषा है जो फ्रांस की क्रांति के समय सबसे पहले प्रयोग में लायी गयी थी, तब से आंतकवाद की परिभाषा में बहुत परिवर्तन हुए हैं और कोई भी दो विद्वान इसकी एक परिभाषा के बारे में सहमत नही हो पाये।

सर्वप्रथम आतंकवाद का उपयोग 11वीं से 13वीं शताब्दी में असेसिक नामक इस्लामिक घटक ने धार्मिक राजनैतिक विचारधारा के प्रतिवाद में, इनके प्रतिद्वन्दियों की हत्या करने के लिये किया गया था। रूस के क्रान्तिकारियों द्वारा आतंकवाद का प्रयोग 1878–81 के मध्य किया गया। 19वीं सदी के अन्तिम दषक में आनर्किष्ट विचारधारा के क्रान्तिकारियों द्वारा इसका प्रयोग इटली, फ्रान्स, स्पेन तथा यूनाइटेड स्टेट्स में एवं 20वीं सदी में आयरलैण्ड, आरमेनिया, मेसेडोनिया, सरविया के क्रान्तिकारियों द्वारा इसका प्रयोग किया गया। नरोदया बोल्या क्रान्तिकारी संगठन द्वारा रूस के गृहमंत्री की हत्या के समय 1902 मे इस संगठन की गतिविधियां देखने में प्राप्त हुई। 20वीं सदी में बोबाया आर्गनाइजेषन नाम का एक और संगठन स्थापित हुआ।[3]

आतंकवाद का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रुसेल्स में दण्ड विधान को समेकित करने के लिये 1931 में बुलाये गये सम्मेलन में किया गया था जिसके अनुसार आतंकवाद का अभिप्राय जीवन भौतिक अखण्डता अथवा मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला या बड़े पैमाने पर सम्पति को हानि पहुँचाने वाला कार्य करके जानबूझकर भय को उत्पन्न करना है इसके पश्चात अनेक विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आतंकवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। शिमिड ने 1984 में आंतकवाद की सौ से अधिक परिभाषाओं को सूचीबद्ध किया है। विभिन्न देशों की परिस्थितियों एवं विधियों के आधार पर परिभाषित आतंकवाद की एक मत परिभाषा का निर्माण नही हो सका।

भारत के कई प्रमुख राज्यों में आंतकवाद प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा है। भारतवर्ष मे 1988 में आंतकवादी गतिविधियों में 1533 व्यक्ति मारे गये[4] एवं जम्मू काष्मीर मे 1988 से 2001 के मध्य 29232, पजांब मे 1981 से 2000 के मध्य 21652, असम मे 1992 से 2000 के मध्य 4120, नागालैण्ड मे 1992 से 2000 के मध्य 2328, एवं त्रिपुरा मे 1992 से 2000 के मध्य 2328, लोग आंतकवादी घटनाओं मे मारे गये।[5] आंतकवाद के कुछ प्रकरणों के अध्ययन पर किसी जाति, वर्ग से किया गया पक्षपात या अन्याय चाहे वह काल्पनिक हो या वास्तविक खोजा जा सकता है परन्तु उस स्थिति में उसे समाप्त नही किया जा सकता। सरकार (शासन) द्वारा ऐसे पक्षपात, अन्याय गरीबी भेदभाव आदि के अन्तर को समाप्त भी कर दिया जाता है। तो कुछ लोग जाने –अनजाने बचे ही रह जाते हैं।

## आतंकवाद के कारण

आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, जनसंख्या विस्फोट, सामाजिक बहिष्कार, अतिवाद, नस्लीय अल्पसंख्यकों का दमन, जनजातीयवाद और धार्मिक व राजनीतिक दमन एवं समुचित शिक्षा का अभाव जिससे हिंसा जन्म लेती है उसे अतिवाद, आतंकवाद या अलगाववाद कहा जा सकता है।

युद्ध की शुरूआत हमेशा आदमी के दिमाग में होती है और समान विचारों वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं इसी वजह से इसके परिणाम केवल विवाद वाले देश में ही नही महसूस किए जाते, बल्कि उनकी धमक कहीं और भी सुनाई देती है। कई आंतकी अपने उद्देश्य के लिये लड़ते हुए मरना पंसद करते हैं ताकि उनकी नजर में जो सच है उसे पाया जा सके, वह महसूस करते हैं कि वह एक वंचित तबके के लोग है और उनके सुखद भविष्य की कोई उम्मीद बाकी नही है, वह अपनी जिंदगी दांव पर इसलिए लगाते हैं ताकि उनके कारण उनके स्तर के दूसरे लोगों को शांति और भौतिक रूप से समृद्ध जीवन का अधिकार नही है, जिन्हे समृद्ध जीवन का अधिकार प्राप्त हो सके। आंतकवादी आंतक फैलाने के लिए जिन घटनाओं को अन्जाम देते हैं उनमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है, आंतक फैलाने के नित नए–नए तरीके खोजते रहते हैं। आंतक फैलाने के लिए यह निर्दोष व्यक्तियों को शिकार बनाते है इसके लिए भीड़ वाले इलाकों में बम विस्फोट करना, अचानक अन्धाधुन्ध फायरिंग कर हत्याएं करना इनके लिए सामान्य बात है।

## अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और राष्ट्रीय आंतकवाद में भी अंतर किया जा सकता है। जब किसी राष्ट्र में कोई स्वतंत्रता चाहने वाली जातीयता अथवा विदेशी सरकार को हटाकर स्वदेशी सरकार स्थापित करने वाले संगठन आतंकवाद का सहारा लेकर अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो यह राष्ट्रीय आतंकवाद कहलाता है। जब कोई भी ऐसा संगठन जो अपने लक्ष्य की पूर्ति में विश्व जनमत की सहमति आवश्यक समझता है और उसे प्रभावित करने के लिये आंतकवाद का प्रयोग करता है अथवा किसी दूसरे देश में सरकार का तख्ता पलटने का आतंकवाद के द्वारा प्रयास करता है या फिर किसी संगठन को किसी राष्ट्र विशेष या राष्ट्रों की सरकारों के विरूद्ध आतंकवादी कार्यवाही करने के लिए अन्य देश की सरकारों का समर्थन मिला होता है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहते है। इसके साथ ही किसी संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक देशो में किसी एक समान उद्देश्य को ध्यान में रखकर जब आतंकवादी कार्यवाहियों को कार्यान्वित किया जाता है तो उसे भी अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहा जाता है।

## आतंकवाद का वैश्वीकरण

जब से वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्रियों ने किया तब से आतंकवाद के साथ ही यह शब्द भी जुड़ गया है आतंकवादी संगठन जब परस्पर सम्बन्ध स्थापित कर एक–दूसरे को

अपने समान मानकर परस्पर सहायता करते हैं, और उनके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो जाते तब यह कहा जाता है आतंकवाद का वैश्वीकरण हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रमुख अध्येता ब्रिया क्रोजर का भी यह मानना है कि बीसवीं शताब्दी का आंतकवाद अपने स्वरूप में विश्वपरक है विश्व के आतंकवादियों में आपसी मेलजोल है, क्योंकि इनके मूलभूत विश्वास एवं कार्य पद्धति प्रायः एक ही प्रकार की हैं। यह एक दूसरे को प्रशिक्षण और हथियारों की पूर्ति मे सहायता करते हैं।[6]

साधारणतः आतंकवाद का अभिप्राय आतंक उत्पन्न करना है आतंक उत्पन्न करने के पीछे किसी संगठन अथवा समूह का कोई निश्चित लक्ष्य प्राप्त करना होता है। यह लक्ष्य राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत भी हो सकता है, आतंकवाद में ऐसे बर्बर, हिंसक तरीकों को अपनाया जाता है जिन्हें आज के सभ्य मानवतावदी समाज में स्वीकार नही किया जाता है। आतंक का सरल अभिप्राय भय उत्पन्न करना है भय उत्पन्न करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करना ही आतंकवाद है। अतः आतंकवाद कोई विचारधारा या सिद्धांत नही है, अपितु एक तरीका , एक प्रक्रिया , या फिर एक उपकरण है जिसका प्रयोग कर कोई भी राज्य, राजनैतिक संगठन, स्वतंत्रतावादी समूह अलगाववादी संगठन, जातीय या धार्मिक उन्मादी अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं।

हमारे देश में वैसे तो सभी अहिंसा की वकालत करते हैं किन्तु वास्तव में भारतीय समाज अपने इतिहास मे हिंसा को समाये हुए है, इतिहास में ऐसा समय आया है कि जब हिंसा की मात्रा में कमी हुई परन्तु ऐसा समय कभी नही आया, जब हिंसा पूरी तरह खत्म हो गई हो। हमारे समाज में तो वीरता और विरोध के ऐसे किस्से व कहानियां भरी पडी हैं जिसमें किसी व्यक्ति ने विदेशी शाासन या अन्य राज्यों के प्रति खुला युद्ध किया है। ऐसी कहानी किस्से जिनमें डाकुओं द्वारा हिंसा का प्रयोग कर प्राप्त की गई दौलत को गरीबों पर खर्च करना बताया गया हो, और फिर ऐसी कहानियों में उनको महिमा मंडित किया गया हो तो ऐसी कहानी और किस्से पढ़ने वाले व्यक्तियों के मन में हिंसा की भावना किस प्रकार की होगी यह हम स्वयं समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की कहानियां और किस्से पढ़ता है तो उसके मन में हिंसा के प्रति कोई विरोध या प्रतिरोध उत्पन्न नही होता। इस प्रकार देश की गाथाएं आम नागरिक के मनमें इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करती है जिनसे उसके मन में हिंसा के बीज बने रहते हैं।

आज के इस बदलते युग में जहां प्रचार और प्रसार माध्यमों का बोलबाला है जहां समाचार पत्रों, चलचित्रों और दूरदर्शन प्रणाली से इस प्रकार के चलचित्र प्रचारित और प्रसारित किये जाते हैं। अखबारों में इस प्रकार की खबरें बढ़ा चढ़ाकर छापी जाती है वही सिनेमा का हीरो अकेले अपनी तथा कथित वीरता के बल पर अच्छे बुरे सब गलत तरीकों से जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अर्थात जहां कमजोर नवयुवक बालकों के घर में दिन और रात इस माध्यमों से हिंसा परोसी जाती है वहां उन लोगों के मन में हिंसा के माध्यम से अपने उद्देश्य प्राप्त करने की कल्पना जाग उठती हो तो उसमें कोई आश्चर्य नही होना चाहिये। इस प्रकार हमारी सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक गाथाएं और सामाजिक पृष्ठभूमि के साथ–साथ अन्य प्रचार –प्रसार के माध्यम से भी हिंसा को आम नागरिक के मन में भरते हैं। किन्तु इस सबके बावजूद भी इसका परिणाम यह नही होता है कि वह व्यक्ति या नवयुवक जिसे इस प्रकार हिंसा परोसी जा रही है अचानक आतंकवादी बन जाये, लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के मन में जो पहले से हिंसा के बीज दबाये हुए है उसे इन कहानियों के माध्यम से खाद पानी देकर जीवित किया जा सकता है और तब धार्मिक भावनाएं उभरकर एवं अन्य किसी प्रकार से उन भावनाओं को प्रोत्साहित कर उसे आतंकवाद की ओर खींचा जा सकता है।

आतंकवाद एक ऐसा संगठित सशस्त्र घटक है जो एक विशिष्ट लक्ष्य और उद्देश्य के लिए लोगों को अपने आंतक से भयाक्रांत कर उन्हें मानसिक रूप से दुर्बल बना देता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसे पूर्णरूप से नष्ट करना बहुत ही कठिन होता है। आतंकवाद जन्म आक्रोश और कुण्ठा से भी उत्पन्न होता है। हमारे देश के कई सीमान्त क्षेत्र इस आतंकवाद से प्रभावित हैं। इस प्रकार कुण्ठाजनित आंतकवाद को नक्सलवाद का नाम दिया गया है।

आतंकवादी मारा जाए या सुरक्षा बलों का सदस्य अथवा आम नागरिक, सभी परिस्थितियों में राष्ट्रीय मानव संसाधन को ही हानि पहुॅचती है। उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सभी प्रकार के आतंकवादी संगठनों में सम्मिलित अधिकांश उच्च पदाधिकारी या स्वयंभू कमाण्डर इत्यादि 35 से 55 वर्ष के आयु समूह के होते हैं किन्तु आतंकवादी गतिविधियों को प्रत्यक्षतः अन्जाम देने वाले युवा प्रमुखतः 15 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के होते हैं अर्थात उत्साह, साहस तथा आक्रोश से भरी युवा पीढ़ी को सहजता से दिग्भ्रमित किया जा सकता है। बेरोजगारी, निर्धनता, वर्गीय तथा साम्प्रदायिक संकीर्णताएं, शोषणकारी प्रवृत्तियॉ, राजनीतिक–आर्थिक भेदभाव तथा अपरिपक्व मानसिकता युवाओं के भटकाव में खाद का कार्य करती है। लेकिन आतंकवाद के बीज सुनियोजित ढंग से विदेशी शक्तियों या स्थानीय राजनीतिज्ञों द्वारा बोए जाते हैं। यह बीज इतने जहरीले होते हैं कि आतंकवाद को अपना चुका युवा ''आत्मघात'' को भी कुर्बानी समझ सहजता से अपना लेता है। इतिहास गवाह है कि जिन राजनेताओं या सरकारों ने आतंकवाद का सहारा लिया वे अन्ततः खुद ही उस आतंकवाद के घेरे में उलझे हैं। आतंकवाद एक भस्मासुर है जो प्यार, अपनत्व तथा वार्ता की भाषा नही समझता है।

आंतकवाद को कुचलने के लिए टाडा या पोटा जैसे कानून भी कई बार अल्पप्रभावी सिद्ध हुए हैं क्योकि आतंकवाद किसी सिद्धान्त पर नही टिका है बल्कि 'मै तो वही खिलौना लूॅगा'' की जायज–नाजायज मॉग पर टिका होता है। यद्यपि कई बार आतंकवाद की आड़ में आतंकवादी बने युवा अपने दिल मे छुपी प्रतिशोध की किसी भावना को शान्त करते हैं तथापि अधिसंख्य मामलों में आकाओं के कहने पर बर्बरतापूर्ण आतंकी घटनाओं को अमली जामा पहनाया जाता है। इन घटनाओं से सुरक्षा बलों तथा उनके परिजनों के जिन मानवाधिकारों की बलि चढ़ती है उनकी चिन्ता किसे है, जहॉ तक आतंकवाद को समूल नष्ट करने का प्रश्न है वह एक आदर्शवादी तथा सैद्धान्तिक कल्पना मात्र है क्योंकि न तो कभी मानव समाज एवं शासन में पूर्ण समानता लाई जा सकती है और न ही सभी व्यक्तियों तथा वर्गो को एक साथ संतुष्ट किया जा सकता है।

समानता तथा स्वतंत्रता दो परस्पर विरोधी स्थितियॉ हैं। समानता की स्थापना किसी न किसी की स्वतंत्रता को बाधित करने पर ही होती है तथा पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने पर नाना प्रकार की असमानताएं उत्पन्न होने लगती है। वस्तुतः मानव स्वभाव स्वतंत्रता प्रेमी है अर्थात हमें सरकारी या सामाजिक दबाव सहज स्वीकार नही है, विशेषतः युवकों में विद्रोह करने की भावना व्याप्त रहती है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार राष्ट्र की सीमाओं पर सेनाएं दुश्मन से जूझती रहेगी उसी प्रकार राष्ट्र के अन्दर भी आतंकवादी गतिविधियॉ बनी रहेगी। हॉ,इतना अवश्य है कि आतंकवादी घटनाएं, सभ्य, परिपक्व तथा छोटे राष्ट्रो में कम हो सकती है किन्तु भारत जैसे बहुभाषी, बहुनस्लीय, बहुधार्मिक तथा विविधताओं से परिपूर्ण राष्ट्र में पूर्ण अमन–चैन की कल्पना करना बेमानी है। अतः स्पष्ट है कि यदि हमें आतंकवाद पर मुक्ति पानी है तो अलग–अलग समय पर अलग–अलग रणनीतियां अपनानी पड़ेगी।

आतंकवादी घटनाओं में अधिकांश मामलों में मरने वाले युवा तथा पुरूष होते हैं जिनके कन्धों पर किसी परिवार की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था टिकी होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि

आतंकवाद ने न केवल आधारभूत संरचना को ध्वस्त किया है बल्कि पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्था को भी झकझोर कर रखा दिया है। ऐसी स्थिति में देश का प्रत्येक नागरिक आशा भरी नजरों से सरकार की ओर देखता है। ए. किंग का कथन है"सदियों पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम ईश्वर की ओर देखा, फिर उसने बाजार की ओर देखा तथा अब वह सरकार (राज्य) की तरफ देख रहा है।

आंतकवाद का सारा दर्शन तथा गणित, विकास, प्रशासन के विपरीत है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात चले शीतयुद्ध में महाशक्तियों द्वारा शत्रु के तंत्र को झकझोरने के लिए असैनिक कार्रवाई के रूप में आतंकवादी संगठनों का सहारा लिया गया। कालान्तर में आतंकवाद का यह दैत्य स्वयं अपने निर्माताओं को निगलने लग गया तो दूसरी ओर, आतंकवाद कूटनीतिक कदमों का अभिन्न अंग बन गया। अनेक राष्ट्रों ने आतंकवाद को अपने हित के लिए संरक्षण दिया है। कुछ देशों ने आतंकवाद को पड़ोसी राष्ट्र की समृद्धि तथा स्थिरता को छिन्न–भिन्न करने के रूप में उकसाया है। ऐसा माना जा रहा है कि कालचक्र का वर्तमान दौर आमने सामने के युद्धों के बजाय आतंकवाद जैसे परोक्ष युद्ध जाली मुद्रा के रूप में आर्थिक युद्ध तथा साइबर (कम्प्यूटर) तकनीकों पर आधारित बौद्धिक युद्धों का है। चूँकि भारत सहित अधिसंख्य विकासशील राष्ट्रों में बेरोजगारी की व्यापक समस्या है अतः कुंठित युवा शीघ्र ही अलगाववादी गतिविधियों से जुड़ जाते हैं इस समस्या का समाधान यह है कि जनसंख्या नियंत्रण सहित शिक्षा के प्रसार एवं अन्य सभी पक्षों का विकास किया जाए।

**आंतकवाद निरोध के उपायः**

देश में बढ़ते हुए आतंकवाद को देखते हुए वर्ष 1987 में भारत सरकार ने आतंकवादी तथा विघटनकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के आशय से एक अधिनियम का निर्माण किया जिसमें आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (1987) का निर्माण किया गया। जिसके प्रभावी होने के पश्चात भी कुछ आवश्यकताएँ महसूस की जा रही हैं, अतः आंतकवाद निरोध के कुछ उपाय इस प्रकार हैंः

1. देश के विभिन्न भागों में जहॉ पर विकास की गति एक दम धीमी है या विकास के कोई कार्य ही नही हुए वहॉ पर आतंकवादियों द्वारा जनता के बीच में ऐसे भ्रामक प्रचार प्रसार करके की, सत्ताशीन राजनीतिक एंव प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भेदभाव व पक्षपात पूर्ण कार्य किये जाकर क्षेत्र के विकास में बाधा पहॅुचाई गयी है। अतः ऐसे क्षेत्रों में जो आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित हो वहॉ पर विकास की सम्पूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन समग्र रूप से कराया जावे, जिससे ऐसे भ्रामक प्रचार–प्रसार का आतंकवादियों को लाभ प्राप्त न हो सके।
2. आतंकवादियों की घटित घटनाओं से जनता व देश को कितनी हानि उठानी पड़ती है जिसकी क्षति पूर्ति कभी संभव नही है और इस हानि को सहन करने वाला अर्थात ऐसी हानि देश के प्रत्येक नागरिक की है जहां के आंतकवादी भी नागरिक है यह प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के समस्त विद्यालयों के पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं में समावेश कराया जाना आवश्यक है। जिससे प्रत्येक व्यक्ति इस सम्बन्ध में अवश्य शिक्षा (ज्ञान) ग्रहण कर सकें। ऐसे क्षेत्र में जहॉ पर आतंकवादियों द्वारा अत्यधिक घटनाएं घटित की जाती हैं पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के बहुत से पद कई माह तक रिक्त रहते हैं जिससे ऐसी घटनाओं पर प्रभावी कार्यवाही समय पर नही हो पाती। अतः ऐसे क्षेत्रों में रिक्त पदों की पूर्ति भी बिना किसी विलम्ब के की जानी चाहिए।
3. जब तक देश की सुरक्षा बलों को हिंसा के विरूद्ध लड़ने के लिए विस्तृत अधिकार नही दिये जायेंगे तब तक इसका मुकाबला करना कठिन है, इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा का उचित प्रसार इस उद्देश्य से किया जाय कि शिक्षा के माध्यम से अतिवादियों द्वारा फैलाये गये प्रचार को नष्ट किया जा सके। यदि उस क्षेत्र के आम नागरिकों को प्रशासन से कोई विशेष शिकायत है तो तत्काल उसका निराकरण किया जाना चाहिये,. यदि उस क्षेत्र में विकास अधूरा या अपूर्ण है तो उस क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक व्यवस्था करके उस क्षेत्र को विकसित करना चाहिये। यदि उस क्षेत्र में आवागमन के लिए अच्छी सड़के नही है तो वहॉ अच्छी सड़कों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सुरक्षा बल घटना स्थल पर पहॅुच सके ताकि उस क्षेत्र में घूमने फिरने वाले ऐसे संगठित गिरोह को समाप्त किया जा सके।
4. हिंसा और आंतक केवल हमारे देश की समस्या ही नही है अपितु यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और इसे तभी जड़मूल से उखाड़ा जा सकता है जब सभी राष्ट्र एकमत हो जाये। हम जानते हैं कि हिंसा, हिंसात्मक अपराध और आंतकवाद से मुकाबला पुलिस और प्रशासन को ही करना होता है। अतः यह सुनिष्चित किया जाना चाहिए कि उपरोक्त स्थिति में पुलिस अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार पूर्ण कर सकती है।
5. किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य में उस देश के नागरिक यदि सही इच्छा शक्ति से सुरक्षा बलों की सहायता करें तो वह आतंकवाद समाप्त करने में एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसके साथ ही साथ यदि शासन द्वारा धार्मिक, क्षेत्रियता और जाति या समाज की भावनाओं से अपने आपको अलग रखकर सभी के लिए समान कार्य करने की भावना से कार्यवाई की जाय तो काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि शासन यह तय कर ले कि उसके द्वारा आतंकवाद का हर क्षेत्र में मुकाबला किया जायेगा तो निश्चित रूप से आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है।
6. आतंकवाद बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि उन आतंकवादी संगठनों ने प्रारंभ में अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर ली। यद्यपि ये बहुत छोटे उद्देश्य थे किन्तु इससे उन्हें अन्य लोगों को अपने संगठन में साथ लाने का अवसर मिला। अतः ऐसी प्रत्येक छोटी से छोटी घटनाओं पर त्वरित प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।
7. प्रचार–प्रसार माध्यमों द्वारा उचित सहयोग प्राप्त न होने की समस्या पर प्रसिद्ध विद्वान ग्रेशम ने आतंकवादियों के सम्बन्ध में कहा है कि जो सबसे अधिक खून बहायेगा वह सबसे अधिक बड़ी खबर के रूप में प्रचारित होगा। आतंकवादियों द्वारा की गई कार्यवाईयों को तो प्रचार और प्रसार माध्यम द्वारा बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, किन्तु पुलिस की कार्रवाई को उतना महत्व या प्रचार प्रसार नही किया जाता। अतः पुलिस द्वारा की गई कार्यवाहियों को भी प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।
8. देश के ऐसे क्षेत्र जहां पर आतंकवादी गतिविधियां अत्यधिक घटित होती हों ऐसे जंगली व बीहड़ों के ग्रामों में जहां भी विद्यालय है वहाँ के षिक्षा का स्तर अत्यन्त न्यून है जिसका प्रमुख कारण है कि ऐसे क्षेत्रों के विद्यालयों में आवष्यक षिक्षा बच्चों को नही प्राप्त हो पाती है। इसके लिये ध्यान दिया जावे कि उन क्षेत्र के विद्यालयों में पठन–पाठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो। यदि पठन–पाठन का संचालन सुचारू रूप से नही हो रहा हो तो इस सम्बन्ध मे षासन को समुचित व्यवस्था करायी जाना चाहिये। आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र में बच्चे अध्ययन अवष्य करें इस सम्बन्ध में जागरुकता भी उत्पन्न की जाना चाहिये।

आतंकवादी समस्या उन्मूलन के सम्बन्ध में युद्ध कौशल अन्तर्गत समरतंत्र एवं कूट योजना (Strategy & Tactseactics) के सम्बन्ध में कैप्टन लिडिल हर्ट का यह कथन कि यदि तुम शांति चाहते हो तो युद्ध के महत्व को समझो। इसी प्रकार वार्नाड रसले द्वारा कथित विचारों के युद्ध में किताबे हथियार हैं (Books are weapons in the war of ideas) इस बात से प्रमाणित है कि जब तक किसी बल को बौद्धिक रूप से किसी समस्या के प्रति विचारवान संवेदनशीलता हासिल नही होती है तब तक उत्पन्न समस्या जड़वत बनी रहती है और जब उत्पन्न समस्या की पृष्ठ भूमि में गहनतम विचार किया जाता है उसका मनन किया जाता है, तब विचार दृढ़ता हासिल कर समाज में हथियार का काम करता है और ऐसे दृढ़ता पूर्वक सद्विचार के समक्ष दुनिया हमेशा से नत मस्तक होती चली आयी है।[7]

## उपसंहार

शिक्षा तंत्र का कार्य केवल पढ़ने–लिखने या साधारण ज्ञान देना नहीं है, बल्कि इसका कार्य व जिम्मेदारी काफी व्यापक है। इसमें मौलिक ज्ञान देने के अतिरिक्त व्यवहारिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, व्यवसायिक ज्ञान, कानूनी ज्ञान आदि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में शिक्षा तंत्र जितना मजबूत व योग्य होगा, नागरिक उतने ही ज्यादा परिपक्व, योग्य, अनुषासित, व्यवहार कुषल, जीविका उपार्जन में सक्षम, नियम कानूनों पर चलने वाले होंगे। इसके विपरीत स्थिति में नागरिक, अपरिपक्व, बेरोजगार, कानूनों का उल्लंघन करने वाले, अयोग्य तथा व्यवहार में अकुशल होंगे जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होगी जिस प्रकार से आज हमारा समाज या देश त्रस्त है। प्रसिद्ध लेखक व पत्रकार मौलाना बहीद्दुदीन खान ने भी षांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए षिक्षा पर जोर दिये हैं। वे लिखते है कि "किसी समाज में सुधार के लिए अहिंसक तरीके के इस्तेमाल का सिर्फ एक रास्ता है और वह है समाज की मौलिक इकाई यानि व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन लाना। किसी विद्वान का यह मत बिल्कुल सही है कि सारी हिंसा दिमाग में पैदा होती है और इसे दिमाग में ही खत्म किया जा सकता है। सच्चाई तो यह है कि अहिंसक विश्व को जन्म देने के लिए एकमात्र रास्ता है वैचारिक जागरण लाना, निसंदेह यह एक लंबा और श्रमशील संघर्ष है। लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है।" वे आगे लिखते है कि "किसी भी स्तर पर और किसी भी क्षेत्र में जब हिंसा होती है तो मौलिक सवाल, सभी घटनाओं में व्यक्ति का महत्व होता है। यही कारण है कि यदि हमें एक षांतिपूर्ण समाज के लिए एक अहिंसक विश्व बनाना है तो एकमात्र रास्ता यही है कि शिक्षण–संबंधी तरीकों के उपयोग द्वारा लोगों के विचारों को हिसंक से अहिसंक बना दिया जाए और उनमें यह क्षमता पैदा की जाए कि विवादस्पद विषयों का समाधान षांतिपूर्ण उपायों द्वारा खोजें। उन्हें असहिष्णुता और टकराव के विरुद्ध सहिष्णुता और बचाव के मूल्य को समझना सीखना विश्व और एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है, और आतंकवाद जैसी समस्या समाप्त की जा सकती है।[8]

## संदर्भ


1. कटारिया, सुरेन्द्र, 2003 – मानव अधिकार सभ्य समाज एवं पुलिस, आर.बी.एस.ए. पब्लिसर्श, जयपुर, पृ. 88.
2. भटनागर, सतीशचन्द्र, 2000 – नागरिक उड्डयन सुरक्षा और आतकवाद, सुविधा लॉ हाउस, भोपाल, पृ. 25–26.
3. श्रीवास्तव अम्बरीष कुमार, 1994 – मध्य प्रदेष पुलिस पत्रिका, पृ. 43.
4. माथुर, कृष्णमोहन, 1991 – स्वातंत्रयोत्तर भारत में जनता का उत्तरदायित्व तथा पुलिस की भूमिका, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नईदिल्ली, पृ. 66.
5. कटारिया, सुरेन्द्र, 2003 – मानव अधिकार सभ्य समाज एवं पुलिस, आर.बी.एस.ए. पब्लिसर्श, जयपुर, पृ. 94.
6. प्रतियोगिता दर्पण, स्वदेशी बीमा नगर आगरा, दिसम्बर 2001, पृ. 849.
7. मिश्र, शालिकराम, 2010 दस्यु उन्मूलन पर पुलिस की भूमिका म.प्र. एवं उत्तरप्रदेश के विशेष संदर्भ में 1948–2008 तक, अप्रकाशित शोध प्रबंध, अ.प्र. सिंह वि.वि., रीवा (म.प्र.), पृ. 245–246.
8. नागपाल, संजय पुलिस विज्ञान पत्रिका वर्ष 2000. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नईदिल्ली, पृ. 17.